न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
187 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 343	25.07.2023	16.09.2025

अनवान

1– देवकरण पुत्र लादु बलाई निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2–4 मु. गुमान, मु. मनभर, मु. लाली पुत्री लादु बलाई निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– मु. मांगी देवी पत्नी प्यारेलाल चमार निवासी रायपुर शंकर खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– मु. पानी पत्नी भैरूलाल बैरवा निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– मु. रेखा पत्नी छोटूलाल बैरवा निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मु. रामघणी पत्नी रतन बैरवा निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– मु. लीला देवी पत्नी खाना बैरवा निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– भेरू उर्फ शंकर पिता उदा चमार सरपरस्त दादी कजोड़ी चमार निवासी रायपुर शंकर खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति – श्री अक्षयराज रेबारी –अभिभाषक प्रार्थीगण
विपक्षीगण सं0 1 से 7 –एकतरफा कार्यावाही
विपक्षीगण सं0 8 –पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रायपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 99 आराजी नम्बर 89 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकार, कब्जे काश्त की स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी 89 में आने जाने व फसल काश्त करने हेतु प्रार्थीगण गांव प्रतापपुरा से रायपुर शंकर खेड़ा जाने वाली कच्ची सड़क से होकर विपक्षी नम्बर 01 आराजी नम्बर 72 के पूर्वी भुजा से होकर विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 की आराजी नम्बर 71 के पूर्वी भुजा से होते हुए विपक्षीगण संख्या 6 की आराजी नम्बर 87 की पूर्वी भुजा से होकर अपनी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 89 पर पहुंचते है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा इस रास्ते को स्वयं के खेत के आगे रोककर कांटों की छड़िया लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात को काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

मुख्य धंधा कृषि है और आराजी को काश्त नहीं कर पाये तो प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को सहमति से रास्ता देने हेतु भी निवेदन किया गया किन्तु विपक्षीगण इंकार हो गये। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजियात में से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने व अपनी आराजी काश्त करने हेतु 12 फीट चौड़ा नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरा आराजी नम्बर 89 में पहुंच हेतु विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 72, 71 एवं 87 में से 12 फीट चौड़ा नया रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण सं. 01 लगायत 07 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में प्राप्त भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 89 तक आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजी मौके पर पड़त होकर फसल काश्त नहीं है। मौके पर बिलानाम आराजी नम्बर 82 किस्म गे.मु. रास्ता पर कच्चा रास्ता बना होकर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। आराजी नम्बर 82 से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 72 की पूर्वी मेड़ पर तथा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 71 की पूर्वी एवं उत्तरी मेड़ तथा आराजी नम्बर 87 की दक्षिणी पूर्वी कोने तथा अराजी नम्बर 86 के दक्षिणी पश्चिमी कोन तक मौके पर लगभग 10 फीट चौड़ाई में रास्ता छूटा हुआ है। आराजी नम्बर 71, 72 को शेष हिस्से में मौके पर काश्त होती है। मौके पर वर्तमान में बिलानाम रास्ता दर्ज आराजी नम्बर 82 से लगती हुई अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 72 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर उक्त रास्ते को कांटो की बाड़ लगाकर बंद कर रखा है।

भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम रायपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 72 रकबा 0.55 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0249 हैक्टेयर(68 मीटर गुणा 3.66 मीटर/248.88 वर्ग मीटर), आराजी नम्बर 71 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0278 हैक्टेयर(76 मीटर गुणा 3.66 मीटर/278.16 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 87 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0230 हैक्टेयर(63 मीटर गुणा 3.66 मीटर/230.58 वर्ग मीटर) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 3 रकबा 0.0757 हैक्टेयर(757.62 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–
प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि:–

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक होकर प्रार्थीगण ने अपने सुवधिजनक उपयोग के लिए रास्ते की मांग नहीं की है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

3. प्रस्तुत भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे रास्ते अनुसार मौके पर रास्ता मौजूद है। एवं मौके पर रास्ता बंद होकर प्रार्थीगण की आराजियात काश्त नहीं है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की पर पहुंच खातेदारी आराजी पर पहुंच वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम रायपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 72 रकबा 0.55 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0249 हैक्टेयर(68 मीटर गुणा 3.66 मीटर/248.88 वर्ग मीटर), विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 5 की खातेदारी की आराजी नम्बर 71 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0278 हैक्टेयर(76 मीटर गुणा 3.66 मीटर/278.16 वर्ग मीटर) एवं विपक्षीगण संख्या 6 की खातेदारी की आराजी नम्बर 87 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0230 हैक्टेयर(63 मीटर गुणा 3.66 मीटर/230.58 वर्ग मीटर) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 3 रकबा 0.0757 हैक्टेयर(757.62 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा